

आदेश

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू.सी.पी./06/126/2018/एफ.सी./2017 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग कि.मी. 2.00 से भूल की अध्याली तक मोटर मार्ग के निर्माण में रही 4.661 है० वन भूमि के बदले 9.322 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या मोटर मार्ग कि.मी. 2.00 से भूल की अध्याली तक मोटर निर्माण में आ रही 4.661 है० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, बेरीनाग की आख्या/संस्तुति के आधार पर ग्राम भूल की अध्याली, तहसील बेरीनाग के गैर ज.वि. खतौनी खाता संख्या-23 श्रेणी-9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 1271 मध्ये रकवा 9.322 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार बेरीनाग स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक मई 17, 2019
जून

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 1271/सात-16 /2018-19

दिनांक मई 24, 2019
जून

1. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी बेरीनाग।
4. तहसीलदार बेरीनाग को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित विनियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण क अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०(ब्रिडकुल) बेरीनाग पिथौरागढ़ को सूचना प्रेषित।

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।